



अंचल अधिकारी का कार्यालय , CHAINPUR , PALAMU (प्रखण्ड)
 झारखंड सरकार के अधीन आगत विच्छदा वर्ग - बाट प्रस्तुत बिबो जानकारी अति प्रभावकर

सन्दर्भ संख्या : JHCBC/2022/224504

बारी करने की तिथि - 27/07/2022

प्रमाणित किया जाता है कि ARTI KUMARI पिता : RAMJI SAW VILL-BANDUA PO-SHAHPUR PS-CHAINPUR , गांव/गाँव : BANDUA , धारा : CHAINPUR जिला/ज़िल्ला : PALAMU, राज्य/राज्या/राज्य प्रदेश : JHARKHAND TEL। जाति के सम्बन्ध में आगत विच्छदा वर्ग (अनुसूची I) के रूप में झारखंड विधिकी एवं पट्टी के लिये आक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित अल्पजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये) अधिनियम 2001 के अधीन मान्यता प्राप्त है तथा वे Hinduism (धर्म) को माननेवाले हैं।

- ARTI KUMARI तथा/अथवा उनके परिवार काधारणतया झारखंड राज्य के VILL-BANDUA PO-SHAHPUR PS-CHAINPUR , गांव/गाँव : BANDUA , धारा : CHAINPUR जिला/ज़िल्ला : PALAMU में निवास करते हैं।
- झारखंड राज्य के अंतर्गत विधिकीयों में अथवा उच्च शिक्षा के निमित्त तकनीकी/गैर-तकनीकी संस्थानों में दाखिले के लिये आक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु अर्जीलेख रचित प्रमाण पत्र (फॉर्म संख्या - 1) संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- यह प्रमाणपत्र अपने आदेश तक या झारखंड राज्य के आगत विच्छदा वर्ग/बिच्छदा वर्ग की सूची में सुधारसम्बन्धी परिवर्तन होने तक वैध होगा।

दिनांक

क. यह सूचना सार्वजनिक स्थिति में आती है और, जो आवश्यकता पड़ेगी- 1000 की धारा 20 की तः आजीवन सार्वजनिक है या उचित हो सकती है।

ख. यदि प्रमाण पत्र आती है तो वह सार्वजनिक में सूची विच्छदा वर्ग में है।

(कृपया ध्यान दें- यदि आवश्यकता पड़ेगी, तो आवश्यकता पड़ेगी- 1000 की धारा 20 की तः आजीवन सार्वजनिक है या उचित हो सकती है।)

क. अति अधिकारी

1. इस सूचना अधिनियम 2001 की धारा 20 की तः आजीवन सार्वजनिक है और, जो आवश्यकता पड़ेगी- 1000 की धारा 20 की तः आजीवन सार्वजनिक है या उचित हो सकती है।

2. इस सूचना अधिनियम 2001 की धारा 20 की तः आजीवन सार्वजनिक है और, जो आवश्यकता पड़ेगी- 1000 की धारा 20 की तः आजीवन सार्वजनिक है या उचित हो सकती है।

Digitally signed by SANJAY KUMAR BAKHLA
 अति अधिकारी, CHAINPUR, JHARKHAND

स्थान CHAINPUR
 तिथि 27/07/2022